तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

31.12.2025

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। पूर्व में दिनांक 25.11.2025 को प्रकरण में बहस सुनी गई थी।

वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 सीपीसी का इस आशय का पेश किया है कि प्रकरण में प्रवितादी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी जानकारी वादी को नहीं हुइ, इस दौरान प्रतिवादी या उसके प्लीडर द्वारा भी मृत्यु बाबत् सूचना नहीं दी गई है। वादी 80 वर्ष का बुजुर्ग वक्ति है तथा कोविड–19 के कारण घर से बाहर नहीं निकलता है। इस दौरान वादी के गले में गंभीर संक्रमण होने से भी इलाजरत रहा तथा बाहरी लोगों से सम्पर्क नहीं रहा। दिनांक 25.11.2020 को मुकदमे की प्रगति के संबंध में जानकारी लेने पर मृत्यु से संबंधित जानकारी मिली थी। प्रार्थी ने जानबूझकर मृतक के वारिस बनाने के आवेदन में देरी नहीं की बल्कि यह त्रुटी विगत एक डेढ़ वर्ष से वादी की लगातार बीमारी और इलाजरत रहने व अक्सर घर पर रहने से हुई है, जो क्षमा योग्य है। प्रतिवादी के उत्तराधिकारीयों का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

1. श्रीमति बसंती बेवा लक्ष्मीनारायण
2. भैरू लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. चौथमल पुत्र लक्ष्मीनारायण
4. रामभरोसी पुत्री लक्ष्मीनारायण
5. रामपति पुत्री लक्ष्मीनारायण
6. राजन्ती पुत्री लक्ष्मीनारायण

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में लक्ष्मीनारायण प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटा का कानूनी वारिसों का नाम जोड़कर तलब करने की कृपा करें।

वकील प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जवाब पेश किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण की मृत्यु की तारीख वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में कहीं भी अंकित नहीं की है कि किस दिनांक को प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हुई है, तथा प्रार्थी/वादी द्वारा मात्र आदेश 22 में यह पार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि निमय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध एवं नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक हीं गांव सारसोप के निवासी है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु की जानकारी वादी को मृत्यु होने की दिनांक से ही रही है और प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण की मृत्यु की तारीख 03.12.2019 के बाद कायम मुकार का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2020 को मियाद बाहर पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के एक वर्ष बाद कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया है। इसलिये कायम मुकाम प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। वादी द्वारा कायम मुकाम [illegible] पत्र में कपोल कल्पित कहानी बनाकर पेश किया है जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का [illegible] ठोस एवं युक्तियुक्त कारण एवं सबूत पेश नहीं किया है [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र समय पर पेश नहीं किये जाने के कारण दावा वादी अबैट हो जाने के कारण खारिज योग्य है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 की बेवा का नाम भी गलत इन्द्रा अंकित किया है, जबकि बेवा का नाम बसंती देवी है। तथा मृतक के पुत्रों की उम्र भी अपने प्रार्थना पत्र में खाली छोड़ रखी है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इसलिये कायम मुकाम प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्राथना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जाकर दावा वादी खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी वकील द्वारा प्रतिप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु के लगभग 01 वर्ष पश्चात् पेश किया है। साथ ही वकील वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मृतक वादी के विधिक वारिसानों को पार्टी बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दायर करने की अधिकतम समय सीमा मृत्यु से 90 दिवस तक ही है। वकील वादी द्वारा कानून की जानकारी नहीं होने के कारण नियत समय में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना अवगत कराया है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। फलस्वरूप कायम मुकाम प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 19.02.2025 एवं कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2020 खारिज किया जाता है। वादी द्वारा निर्धारित समयावधि में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने एवं उसके लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं करने के कारण दावा अबेट हो चुका है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अबेट होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:34:21 IST
Reason: SelfAttested